

3-6-2015

पत्रवली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम  
पंचायत शनीपुरा पर पेरा डी वदी  
कन्हैयालाल स्वयं उपस्थित प्रतिवादीगण  
की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।  
वदी ने बताया कि प्रतिवादीगण मेरी  
स्वदेवरी की धर्म खन 464 रकबा  
1-66 हेक्ता के ग्राम खेडली में खन  
निर्माण करने व मिट्टी खोदकर गड्डे  
करने पर आमतदा है वदी अपनी शरारी  
की शीमागत करने से सहमत है।  
अतः प्रतिवादीगण को दमेशा-2 से लिए  
जदिमे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द  
किया जाता है कि वे वदी के

उवात्रेदारी व कठजे काश्त की शर्त  
उवात्रे नं ५६५ उकवा १-६६ इन्टर बल्के  
गृम रेवडली की सीम को छोडकर  
द्वी शरक जिमणि करने का कार्य  
करे। पन्था डिक्की जारी हो। पत्रावली  
र फालगशुभर होकर नम्बर से कन  
हो तथा दफ्तर दारिबल है।

उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक

मूल वादे में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टांक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कम्प कोर्ट) आग्रह पत्र गनीपुरा

पीठासीन अधिकारी... उपखण्ड अधिकारी उनियारा

कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल उनवान (1) विकास अधिकारी पत्र उनियारा  
जाति मीनू निवासी रवेडली बनाम (2) शक्ति कृष्ण बेलोरवा  
त हकीम उनियारा (3) सरपंच शाहपुर बेलोरवा

दावा बाबत स्थानी निपटारा  
मुकदमा नम्बर :- 36/2015  
निर्णय दिनांक :- 3-6-2015

वादी की ओर से कन्हैयालाल की व प्रतिवादी की ओर से कन्हैयालाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3-6-2015 को श्री सुभाषचन्द्र अर्जी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए जेरेने स्थानी निपटारा के पत्र के तहत जाना है कि वे वादी के खातदारी व कर्ज कायदा के मुद्दे खण्ड 464 रकबा 1-66 हेक्टर वाले भूमि रवेडली की सीमा को छोड़कर ही सड़क निर्माण करने का कार्य करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 3-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( 4 )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामील			
योग		योग	